पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 74/2021

1. प्रताप पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी अलायला त0 भादरा।

:–

वादी

ब ना म

1. इन्द्राज पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी अलायला त0 भादरा।
2. लिलूराम पुत्रं इन्द्राज जाति जाट निवासी अलायला त0 भादरा।
3. रिछपाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी अलायला त0 भादरा।
4. सुमित्रा पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी अलायला त0 भादरा।
5. सरजा पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी अलायला त0 भादरा।
6. नरमा पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी अलायला त0 भादरा।
7. मनभरी पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी अलायला त0 भादरा।
8. सुमन पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी अलायला त0 भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सतवीर पूनियां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री जगदीश प्रसाद महला की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अलायला के खाता सं0 10/8 के खसरा सं0 112/1 की 9.1060है0, खसरा सं0 214 की 6.4240है0, खसरा सं0 222 की 4.0080है0 कुल 19.5380है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 इन्द्राज के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 इन्द्राज की बजाय वादी प्रताप व प्रतिवादी सं0 1 इन्द्राज व प्रतिवादी सं0 2 लीलूराम तथा प्रतिवादी सं0 3 रिछपाल बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 4 ता 8 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.7.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुहर: सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 74/2021

1. प्रताप पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी अलायला त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. इन्द्राज पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी अलायला त0 भादरा।
2. लिलूराम पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी अलायला त0 भादरा।
3. रिछपाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी अलायला त0 भादरा।
4. सुमित्रा पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी अलायला त0 भादरा।
5. सरजा पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी अलायला त0 भादरा।
6. नरमा पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी अलायला त0 भादरा।
7. मनभरी पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी अलायला त0 भादरा।
8. सुमन पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी अलायला त0 भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सतवीर पूनियां : वादी

वकील श्री जगदीश प्रसाद महला : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 22.7.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा अलायला के खाता सं0 10/8 के खसरा सं0 112/1 की 9.1060है0, खसरा सं0 214 की 6.4240है0, खसरा सं0 222 की 4.0080है0 कुल 19.5380है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 इन्द्राज के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा हरीराम की खातेदारी हुआ करती थी। हरीराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 इन्द्राज ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 8 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 प्रताप पुत्र इन्द्राज के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही अलायला खाता सं0 10/8 संवत 2073–76 प्रदर्श 1, जमाबंदी. भू प्रबंधक विभाग रोही अलायला प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अलायला प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही अलायला के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही अलायला खाता सं0 10/8 संवत 2073–76 प्रदर्श 1, जमाबंदी भू प्रबंधक विभाग रोही अलायला प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अलायला प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण के अनुसार इन्द्राज के तीन पुत्र लीलूराम, रिछपाल, प्रताप व पांच पुत्री सुमित्रा, सरजां, नरमा, मनभरी व सुमन तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तथा प्रदर्श 2 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 8 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । प्रतिवादी सं0 4 ता 8 ने अपना हक हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अलायला के खाता सं0 10/8 के खसरा सं0 112/1 की 9.1060है0, खसरा सं0 214 की 6.4240है0, खसरा सं0 222 की 4.0080है0 कुल 19.5380है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 इन्द्राज के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में प्रतिवादी सं0 1 इन्द्राज की बजाय वादी प्रताप व प्रतिवादी सं0 1 इन्द्राज व प्रतिवादी सं0 2 लीलूराम तथा प्रतिवादी सं0 3 रिछपाल बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 4 ता 8 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.7.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner